

होता है।

आदेश

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है।

राम सिंह राजावत  
31.8.21

उपखण्ड अधिकारी  
उदयपुरवाटी  
उदयपुरवाटी (झुन्डुनूँ)

निर्णय आज दिनांक 31.08.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।



राम सिंह राजावत  
31.8.21

उपखण्ड अधिकारी  
उदयपुरवाटी  
उदयपुरवाटी (झुन्डुनूँ)

